प्रपत्र–11

परियोजना का नाम:– राज्य योजना में जनपद बागेश्वर में बैजनाथ–बागेश्वर मोटर मार्ग के कि.मी. 17 से मन्यूणा होते हुए नरग्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का औचित्य

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 1730 / 111(2) / 14–03(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 24.08.2014 द्वारा जनपद बागेश्वर में विधान सभा बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ–बागेश्वर मोटर मार्ग के कि.मी. 17 से मन्यूणा होते हुए नरग्वाड़ी तक मोटर मार्ग लम्बाई 3 कि.मी. एवं रू0 43.25 लाख की (प्रथम चरण–यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

जनपद बागेश्वर में विधान सभा बागेश्वर के विकास खंड गरूड़ में ग्राम मन्यूड़ा (जनसंख्या 1825) लगभग 3 कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है एवं अभी तक यातायात की सुविधा से बंचित हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गागरीगोल से तिलसारी तक के लिए मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है परन्तु इस मार्ग से भी ग्राम मन्यूणा को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय जनता लम्बे समय से इस ग्राम को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मांग करते आ रही है। स्थानीय जनता की मांग पर मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत यह मार्ग 3 कि.मी. लम्बाई के लिए स्वीकृत किया गया है। विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त यह मार्ग बैजनाथ–बागेश्वर मोटर मार्ग के कि.मी. 17 से प्रस्तावित किया गया है एवं मन्यूणा एवं तोक पितलाकोट होते हुए नरग्वाड़ी तक इस मार्ग की कुल लम्बाई 2.625 कि.मी. आती है। नरग्वाड़ी में यह मार्ग गागरीगोल तिलसारी मोटर मार्ग में मिल जायेगा। इस मार्ग के संरेखण में 2058 मीटर में नाप भूमि एवं मात्र 567 मीटर में वन भूमि प्रभावित होती है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से ग्राम मन्यूणा एवं नरग्वाड़ी की कुल 2115 जनता को यातायात एवं परिवहन की सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में मदद मिलेगी। रोजगार के नये अवसर प्राप्त होने से स्थानीय बेरोजगारों का पलायन रूकेगा। मार्ग के संरेखण में कुल 0.5103 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें विभिन्न व्यास के कुल ... चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे है,। मोटर मार्ग निर्माण में आरक्षित वन भूमि एवं बांज वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है।

उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर